समाहरणालय, बक्सर
(सामान्य शाखा)

पत्रांक 02-1331 / सा0,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

सेवा में,

अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर।
अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरॉव।

बक्सर, दिनांक 23 / 7 /2018

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2018—19 में मुख्य शीर्ष 2235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण— 60— अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम— 200— अन्य कार्यक्रम— 0003— स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता के अंतर्गत निधि के उपावंटन के संबंध में।**

प्रसंगः— अपर सचिव—सह—निदेशक (प्र0)—सह—वरीय प्रभारी, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना का पत्र संख्या— एन0 / गृ0वि0—आ—02—04 / 2018—318, दिनांक— 13.07.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2018—19 में स्वतंत्रता सेनानियों / आश्रित पेंशनधारियों के बकाया विशेष भत्ता भुगतान के निमित आपसे प्राप्त अधियाचना पत्र के आलोक में विषयांकित शीर्ष के अंतर्गत कुल 210000.00 (दो लाख दस हजार) रूपये मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। प्राप्त आवंटन अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को संलग्न परिशिष्ठ—01 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो के साथ उपावंटित किया जाता हैः—

1- यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या— सं0 2561, दिनांक 17.04.1998 में निहित अनुदेशों एवं विभागीय पत्रांकः— एन0 / गृ0वि0 —आ — 02—04 / 2018—318, दिनांक— 13.07.2018 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

2- उपावंटित राशि में से केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे इस जिले के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता का भुगतान अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान के आधार पर पूर्व की भॉति विशेष भत्ता प्रति माह भुगतान किया जायेगा।

3- यह राशि मुख्य शीर्ष 2235— सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण— उप मुख्य शीर्ष—60— अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष—200— अन्य कार्यक्रम उपशीर्ष— 0003— स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता के विषय शीर्ष—0003.04.01, पेंशन, मॉग संख्या— 22 तथा विपत्र कोड संख्या —22—2235602000003 के तहत वित्तीय वर्ष 2018—19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4- यह उपावंटन वित्तीय वर्ष 2018—19 में स्वतंत्रता सेनानियों / आश्रित पेंशनधारियों के बकाया विशेष भत्ता भुगतान के निमित आपसे प्राप्त अधियाचना पत्र के आलोक में दिया जा रहा है। इस राशि की निकासी कोषागार से की जायेगी।

5- उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छान—बीन एवं जॉच—पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही की जाय। आवंटित राशि के विरूद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं

व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6- इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

7- कोषागार मे प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मॉग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8- मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह को 10 तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से कार्यालय को भेजी जाय।

9- उपावंटित राशि का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक– 25.03.2019 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

10- उक्त उपावंटन से स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रित पेंशनधारियों को राज्यांश उच्च न्यायालय से आच्छादित मामले एवं बकाये का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित होना चाहेंगें की बकाये आदि का भुगतान पूर्व में नहीं की गयी हो।

11- केन्द्रीय पेंशन प्राप्त कर रहे जिला के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों का गत् वर्षो का विशेष भत्ता/पेंशन की राशि भुगतान हेतु यदि बकाया हो तो अविलम्ब विस्तृत अधियाचना भेजी जाय।

अनुलग्नकः– यथोपरि।

विश्वासभाजन

R.K. 27.07.18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

Kunjan- 17-07-18

व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबद्ध निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6- इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

7- कोषागार मे प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मॉग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

8- मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह को 10 तारीख तक टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से कार्यालय को भेजी जाय।

9- उपावंटित राशि का प्रत्यार्पण प्रतिवेदन दिनांक– 25.03.2019 तक अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

10- उक्त उपावंटन से स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रित पेंशनधारियों को राज्यांश उच्च न्यायालय से आच्छादित मामले एवं बकाये का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सुनिश्चित होना चाहेंगें की बकाये आदि का भुगतान पूर्व में नहीं की गयी हो।

11- केन्द्रीय पेंशन प्राप्त कर रहे जिला के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों का गत् वर्षो का विशेष भत्ता/पेंशन की राशि भुगतान हेतु यदि बकाया हो तो अविलम्ब विस्तृत अधियाचना भेजी जाय।

अनुलग्नकः– यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह0/

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 02-1331 / सा0, दिनांक 23 / 7 / 2018

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरॉव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर/ आई0टी0 मैनेजर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के अपर सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

23/7/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

Kunjan- 17-07-18

परिशिष्ट – 1

य शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम लघु शीर्ष– 200 अन्य कार्यक्रम उप शीर्ष–)003 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों की विशेष भत्ता के विषय शीर्ष– 0003.04.01-पेंशन तथा विपत्र कोड -22-2235602000003 (मांग संख्या–22) के अंतर्गत जिले के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य राजस्व से सम्मान भत्ता हेतु निधि उपावंटन की विवरणी :–

क्र0	अनुमण्डल पदाधिकारी का नाम	जीवित पेंशनधारी स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या	आश्रित पेंशनधारियों की संख्या	कुल पेंशनधारियों की संख्या (3+4)	स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रित पेंशनधारियों के बकाया विशेष भत्ता भुगतान के निमित प्राप्त अधियाचना पत्र के आलोक में उपावंटित राशि			पूर्व एवं वर्तमान में उपावंटित राशि का योग
					पूर्व में उपावंटित राशि	वर्तमान में उपावंटित राशि	कुल उपावंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर	01	05	06	180000.00 (एक लाख अस्सी हजार)	120000.00 (एक लाख बीस हजार)	300000.00 (तीन लाख)	300000.00 (तीन लाख)
2	अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमराँव	02	04	06	180000.00 (एक लाख अस्सी हजार)	90000.00 (नब्बे हजार)	270000.00 (दो लाख सत्तर हजार)	270000.00 (दो लाख सत्तर हजार)
3	जिला सुरक्षित				0	0	0	0
	योग :–				360000.00 (तीन लाख साठ हजार)	210000.00 (दो लाख दस हजार)	570000.00 (पाँच लाख सत्तर हजार)	570000.00 (पाँच लाख सत्तर हजार)

R.[illegible] 24/07/18

जिला पदाधिकारी,
बक्सर

kunjan- 17-07-18